JALAUN POLICE

दिनांक – 28.02.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास एवं 17,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– वादी श्री दशरथ पुत्र सदू निवासी ग्राम हदरूख थाना कुठौन्द जनपद जालौन की पुत्री के ससुरालीजनों द्वारा पुत्री को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करना तथा जहरीला पदार्थ खिलाकर मृत्यु कारित कर देना। जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना जालौन में दिनांक 09.03.2011 को मु0अ0सं0 265/11 (वाद संख्या 07/13) धारा 498ए/304 बी भादवि एवं ¾ डीपीएक्ट बनाम 1- शंकर पुत्र लल्लूराम 2- लल्लूराम पुत्र रामसहाय (मृत्यु) 3 श्रीमती कुन्ती देवी पत्नी लल्लूराम निवासीगण ग्राम हरकौती थाना जालौन जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 28.02.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शंकर उपरोक्त को दोषी पाते हुये 07 वर्ष का कारावास एवं 17,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा श्रीमती कुन्ती देवी उपरोक्त को दोषमुक्त किया गया।